राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों से 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

❐ खिलाड़ी को पृथक-पृथक वर्षों के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा

❐ पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघ भेजेगा आवेदन

❐ तुलनात्मक रूप से अधिक उपलब्धि वाले खिलाड़ी सीधे कर सकेंगे आवेदन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार हेतु राज्य शासन ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों से अपने आवेदन में राज्य खेल संघों से अनुशंसा कराकर और शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघों द्वारा राज्य खेल संघों से अनुशंसा सहित खेल एवम युवा कल्याण के जिला कार्यालय या संचालनालय रायपुर में अब 10 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया है। पूर्व में 30 जून 2024 आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि था। खिलाडी को पृथक-पृथक वर्षों के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन पुरस्कारों में शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल है। इसके साथ ही वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http//sportsyw.cg.gov.in

स्पोर्ट्सवायडबल्यू डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन का अवलोकन किया जा सकता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के प्रभारी अधिकारी कौशल ठेठवार का मोबाइल नंबर 9977115799 है।

राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है।

पुरस्कार के नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किए गए है, नियमों के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को पुरस्कार के चलिए प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार : राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाडियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया गया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया गया हो।

शहीद कौशल यादव पुरस्कार : जूनियर वर्ग के उन खिलाडियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया हो।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान : ऐसे महिला, पुरुष खिलाडी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो, उन्हें शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार : प्रशिक्षकों और निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है।

शहीद विनोद चौबे सम्मान : खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो, उन्हें शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया जाता है।

मुख्यमंत्री ट्रॉफी : सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

पुरस्कार राशि : शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु रूपये 03 लाख, शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु रूपये 01 लाख 50 हजार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु रूपये 01 लाख 50 हजार, शहीद विनोद चौबे सम्मान एवं पंकज विक्रम सम्मान हेतु रूपये 25-25 हजार नगद पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार सीनियर एवं जूनियर वर्ग के दलीय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जायेगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या 04 है, उन्हें सीनियर वर्ग में रूपये 02 लाख एवं जूनियर वर्ग में रूपये 01 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा तथा ऐसे दलीय खेल जिनमे सदस्यों की संख्या 24 से अधिक है. उन्हें सीनियर वर्ग में रूपये 05 लाख तथा जूनियर वर्ग में रूपये 03 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई प्रदान किया जाएगा।

प्रोत्साहन नगद राशि पुरस्कार : राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त विजेताओं को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में (01 अप्रैल से 31 मार्च तक 02 वर्ष) जिन खिलाडियों ने सब जूनियर जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। वे खिलाडी जिला कार्यालय एवं अपने खेल संघों से आवेदन फार्म प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

खेलवृत्ति: खेलवृत्ति (डाइट मनी) के लिए जिन खिलाडियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो, खेलवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। खेल संघों से प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 में (01 अप्रैल से 31 मार्च दो वर्ष के लिये) अर्जित की गई उपलब्धि के लिए प्रेरणा निधि के आवेदन जिला कार्यालय या संचालनालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे।

आवेदन फॉर्म : पुरस्कार, नगद राशि, खेलवृत्ति एवं प्रेरणा निधि हेतु आवेदन फॉर्म संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर या विभाग के सभी जिला कार्यालय एवं राज्य खेल संघों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघ भेजेगा आवेदन : शहीद पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन खेल संघ के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य खेल संघों की अनुशंसा सहित प्राप्त किये जायेंगे। खेल संघ पृथक-पृथक वर्षवार दो पुरस्कारों (एक महिला, एक पुरूष खिलाड़ी) के लिये वरीयता के आधार पर 2-2 खिलाडियों के नाम की अनुशंसा कर सकेंगे। पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संचालनालय एवं जिला कार्यालय में खिलाडियों से सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

तुलनात्मक रूप से अधिक उपलब्धि वाले खिलाड़ी सीधे कर सकेंगे आवेदन : पुरस्कार नियम में प्रावधानों के अनुरूप जिन खिलाड़ियों की मान्यता प्राप्त संघ द्वारा पुरस्कार के लिए अनुशंसा नहीं की गई है और तुलनात्मक रूप से उनकी उपलब्धि अधिक है, तो ऐसे खिलाड़ी तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत विवरण लेख करते हुए 10 जुलाई 2024 तक, कार्यालयीन समय में संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर या खेल विभाग के जिला कार्यालयों में अपना आवेदन सीधे जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रयास आवासीय विद्यालय: प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित

रायगढ़। शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9 वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित कर विभिन्न जिला मुख्यालयों में 9 जून 2024 को प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए जिलावार सूची https://eklavya.cg.nic.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थी अपना रोल नंबर, नाम में कोई विसंगति हो तो अपना अभ्यावेदन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ prayas.ctd@gmail.com पर ईमेल 12 जुलाई 2024 तक सायं 5 बजे तक कर सकते है। इस तिथि के पश्चात किया गया अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

कोसीर क्षेत्र के आँगनबाड़ी कार्यकर्ता- सहायिका भर्ती हेतु दावा आपत्ति 10 जुलाई तक आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना कोसीर अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती के लिए 10 जुलाई 2024 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया है। इसके अंतर्गत आँगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आंगनबाडी केन्द्र सिलादेई एवं ऑगनबाड़ी सहायिका हेतु आंगनबाडी केन्द्र खैरा बडे, अण्डोला-3, जशपुर-3, भांठागांव-2, उधरा-2, कोतरी-2. कोतरी-3, खैरा छोटे-3 और मचलाडीह के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। सभी केंद्रों के लिए प्राप्त आवेदनो का मूल्याकन समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरात अनतिम मूल्यांकन पत्रक तैयार किया जाकर दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशित अनतिम मूल्यांकन पत्रक ने जिस किसी अभ्यर्थी आवेदिकाओं को किसी प्रकार का कोई दावा आपत्ति हो तो वे 10.07.2024 की शाम 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

सारंगढ़ के वार्ड 9 में आँगनबाड़ी सहायिका भर्ती हेतु 16 तक आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। नगरपालिका सारंगढ़ के वार्ड 9 में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, गायत्री मंदिर के पीछे सारंगढ़ में 16 जुलाई 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्र 18 से 44 वर्ष होनी चाहिए। पार्षद या पटवारी से जारी निवास प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ शामिल करना होगा।

नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को आयोजित होगा

❐ राजीनामा, बिल, बीमा आदि के प्रकरण का होगा निराकरण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली द्वारा 13 जुलाई 2024 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया है, जिसमें सिविल और राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों, जिसमें निष्पादन प्रकरण भी सम्मिलित हैं, के अलावा, भूमि अधिग्रहण, आबकारी, श्रम, विद्युत, टेलीफोन सम्बन्धी प्रकरण बैंक रिकव्हरी के राजीनामा हेतु रखे जायेंगें, जिसमें मुकदमा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा के द्वारा निराकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। विगत लोक अदालत की भांति राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में भी 13 जुलाई को खण्डपीठों का गठन करते हुए, खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण सम्बन्धी, सुखाधिकार सम्बन्धी, विक्रयपत्र, दानपत्र, वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले रखे जाएंगे।

यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2024 में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है तथा मुकदमा पूर्व प्रकरण न्यायालय परिसर स्थित प्रबन्ध कार्यालय के हेल्प डेस्क में प्रस्तुत कर सकता है। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक प्राधिकरण, सिविल और राजस्व न्यायालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण कोर्स हेतु एसटी एससी युवाओं से 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण कोर्स में हेतु प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी एससी) युवक युवती से 12 जुलाई 2024 के शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी वेबसाइट ट्राइबल डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा कार्यालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नया रायपुर में उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण हेतु कुल 100 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। बजट की उपलब्धता के आधार पर यह परिवर्तनशील होगा। यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम तथा नौकरी, व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रशिक्षण आवासीय है। प्रशिक्षण में छात्र छात्राओं को छात्रावास और मेस के सुविधा निशुल्क होगा। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण देने वाले संस्था द्वारा जॉब प्लेसमेंट में प्रशिक्षण से संबंधित जॉब उपलब्ध कराया जाएगा।

कैथा, बालपुर और रिकोटार में 9 जुलाई को होगा राजस्व शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ अनुविभाग में 9 जुलाई 2024 को कैथा, बालपुर और रिकोटार में राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। कैथा शिविर: बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत कैथा में आयोजित शिविर में ग्राम कैथा (3), पचरी (3), बनाहिल (3), देवरहा (4), मुड़पार (4) और मिरचिद (4) के ग्रामीण शामिल होकर अपने राजस्व संबंधी कार्य कर सकते हैं। रिकोटार शिविर: भटगांव तहसील अंतर्गत रिकोटार में आयोजित शिविर में रिकोटार, सिंघीचुवा, डोटो और जेवरादेई के नागरिक शामिल होकर अपने राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं। बालपुर शिविर:सरसींवा तहसील के बालपुर में आयोजित शिविर में ग्राम बालपुर, केडियारवार, टिहलीपाली, पेंड्रावन, कोट और चारभाठा के ग्रामीण अपने राजस्व कार्य करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नागरिक शिविर में उपस्थित पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पंचायत सचिव इस शिविर के एक दिन पूर्व ग्रामीणों से राजस्व के आवेदन स्वीकार करेंगे और शिविर के दिन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कोटवार शिविर के दिन की सूचना मुनादी के माध्यम से गांवों में देंगे। राजस्व कार्यों जैसे बी-1 नकल, खसरा, फौती नामांतरण, खाता विभाजन, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, अभिलेख शुद्धता, भूअर्जन, प्राकृतिक आपदा आदि के सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मैदानी कार्य जिसमें संबंधित किसान के खेतों में जाकर नाप-जोख करना होगा उनको छोड़कर अन्य सभी कार्य जैसे खसरा शुद्धिकरण, आय, जाति, निवास, केसीसी फार्म, डिजिटल सिग्नेचर आदि कार्य में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार से संबंधित सभी कार्य शिविर में ही संपन्न होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में घुसा दंतैल हाथी, लोगों में दहशत, 12 से अधिक गांवों में अलर्ट जारी

महासमुंद (आरएनएस)। एक दंतौल हाथी तरजुन्गा से सरकड़ा गांव की ओर बढ़ रहा है. जिससे लोगों में दशहत का माहौल बना हुआ है. हाथी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश से वन विभाग अलर्ट मोड पर है और 12 से अधिक गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. हाथी की गतिविधियों के बारे में जानकारी के अनुसार, महासमुंद से गरियाबंद जिले में एक दंतैल हाथी प्रवेश कर रहा है. हाथी सूखा नदी क्रास कर गनियारी डैम की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इसको देखते हुए वन विभाग ने दर्जन भर गांव में अलर्ट जारी किया है. वन विभाग द्वारा गांवों में माइक के जरिये अलर्ट जारी किया जा रहा है और लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है.

केन्द्रीय वित्त आयोग 10 से राज्य के दौरे पर

❐ राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और आर्थिक प्रगति सहित अनेक मुद्दों पर होगा विचार-विमर्श

रायपुर । आरएनएस

केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढिया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल राजधानी रायपुर पहुंच रहा है। यह दल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रीमण्डल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ, राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। वित्त आयोग 12 एवं 13 जुलाई को जगदलपुर भ्रमण पर भी रहेगा।

केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगढिया के साथ आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज कुमार पाण्डा, डॉ. सौम्य कांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पाण्डेय, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण भी रायपुर पहुंचेंगे।

केन्द्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर वित्त सचिव मुकेश बंसल ने होटल मेफेयर में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संचालक कोष लेखा एवं पेंशन एवं नोडल अधिकारी 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग महादेव कावरे, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा, संचालक जनसम्पर्क अजय अग्रवाल सहित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सीएसआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

66 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी : सरकार ने जारी किया नोटिस

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने 66 डॉक्टरों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर ली है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। इन डॉक्टरों को ड्यूटी से गायब रहने की वजह से यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें डॉक्टरों से गैरहाजिर होने का कारण पूछा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। ऐसे शासकीय सेवको के विरूद्ध छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-1/2014/1-3 10.02.2015 में उल्लेख है कि एक माह या उससे अधिक समय तक अनाधिकृत अनुपस्थित को सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जावे। ऐसे शासकीय सेवक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत् तत्काल दीर्घशास्ति के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शा दी जावे। पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सड़क पर स्टंट कर रहे युवक का पैर फैक्चर : यातायात पुलिस ने समय पर पहुंचाया हॉस्पिटल

दुर्ग । आरएनएस

सोमवार सुबह नेवई से उतई मार्ग में स्थित स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के पास दो पहिया वाहन चालक ग्राम खोपली निवासी सोनू यादव अपनी बिना नंबर मोटर सायकल से तेज रफ्तार स्टंट करते हुए वाहन चलाते उतई से नेवई की ओर आ रहा था इस दौरान अचानक अनियंत्रित होकर सडक़ दुर्घटना का शिकार हो गया जिससे दो पहिया वाहन चालक के पैर में फैक्चर हो गया। जिसकी सूचना मिलने पर पेट्रोलिंग पर निकले यातायात जोन सिविक सेन्टर प्रभारी निरीक्षक कुंज बिहारी नागे एवं पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल घायल को शासकीय अस्पताल उतई ईलाज के लिए भर्ती कराया।

यातायात पुलिस ने की अपील :- यातायात पुलिस दुर्ग समस्त परिजन एवं युवा वर्ग से अपील से करती है कि वे अपने बच्चो का ध्यान रखे और उन्हें समझाईस दे इस प्रकार से खतरनाक स्टंट ना करें एस आई एम दूसरों के लिए भी हानिकारक है साथी ही बिना हेलमेट दो पहिया वाहन न चलाये और नियंत्रित गति में वाहन चलाये।

कोल घोटाले मामले में रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. बता दें कि रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है.

इस मामले में बचाव पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की. वहीं स्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल की डबल बैंच ने अंतरिम जमानत का आदेश जारी किया. बता दें कि ईडी ने जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है. बता दें कि लंबे समय से जेल में बंद रानू साहू के खिलाफ एसीबी-ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज किया है. निलंबित ढ़ढ़ूस् रानू साहू पर वर्ष 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति स्वयं के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है, जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया गया है।